-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व 07 हजार रूपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग **03 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व 07 हजार रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 338/92 धारा 380 भादवि के अभियुक्त बुद्दी पुत्र बसंता निवासी बेलदान थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **3000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 206/91 धारा 341/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-सभाजीत पुत्र लल्लू प्रसाद निवासी पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा व 2-रघुवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी जलालपुर थाना बबेरु जनपद बांदा को **कुल 3000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग 856/20 धारा 392/411 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-अल्ला रक्खा पुत्र फजुल व 2-बब्लू उर्फ बाबा नायक तिवारी पुत्र अनिल तिवारी निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि (03 वर्ष 09 माह) के कारावास व **1000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया।